FIVE RUPEES TWENTY RUPEES

(413)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

विविध न्यायालय अवमान वाद /२०१६ नि॰-1481-PBR-16

दिनांक 3-6-16 को ... सिंह धाकड़ अभि॰ द्वारा प्रस्तुत। 3-6-16

मनोहर पिता माणकलाल जैन जाति महाजन आयु ५० साल धंधा कृषि निवासी ग्राम ढाबला हरदु तैहसील तराना जिला उज्जैन --प्रार्थी

विरुद्ध

१- अशोक पिता पूनमचद वर्मा जाति राजपूत आयु ३१ साल निवासी मालवा मील इंदौर

२- नायब तैहसीलदार तहसील कार्यालय तराना जिलाउज्जैन

३- तैहसीलदार तराना जिला उज्जैन तहसील कार्यालय तराना

४- रामेश्वर पटवारी ग्राम ढाबला हरदु तैहसील तराना जिला उज्जैन

५- शरद गोलवाना इंचार्ज पटवारी ग्राम ढाबला हरदु तैहसील तराना जिला उज्जैन ।

६- कविता ठकुर रिडर नायब तैहसीलदार तराना जिलाउज्जैन

७- रघुराम कर्मचारी कम्प्युटर शाखा तैहसील कार्यालय तराना जिला उज्जैन ---प्रतिप्रार्थीगण

02/06/16 (Karchan Singh Dhakad) Adv.

वाद :- न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा २ व १२ के तहत

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

१- यह कि ग्राम ढाबला हरदु तैहसील तरानाजिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे नंबर १ रकबा ५-२५ हैक्टर पर भू०राजस्व संहिता की धारा १०९-११० १९६ के तहत प्रार्थी मनोहर का नामान्तरण तैहसील प्रकरण क्रमांक ८४अ६। १२-१३ आदेश दिनांक ३०-५-१३ व्दारा स्वीकृत हुआ है उक्त आदेश की अपील प्रतिप्रार्थी १ अशोक ने अनुविभागीय अधिकारी तराना मे की थी जो प्रथम अपील ९८।१३-१४ रही व अपील आदेश ९८-१-१६ व्दारा ३०-५-१३ का तैहसीलदार का आदेश निरस्त हुआ था ९८-१-१६ के आदेश के विरुद्ध व्दितीय अपील प्रार्थी मनोहर ने अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के न्यायालय मे की थी जो अपील प्रकरण २०५।१५-१६ रहा है व २९-२-१६ को व्दितीय अपील अस्वीकार हुई उसके विरुद्ध प्रार्थी मनोहर ने निगरानी वाद आदरणीय सम्माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो निगरानी आर८७९।१६ दर्ज हुई व उसमे १४-३-१६ को स्टे आदेश व्दारा अनुविभागीय अधिकारी तराना का

मनोहरलाल

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1781-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	